



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०-117 काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/11-05-वे०प्र०(30)/2002 दिनांक 9 फरवरी, 2011

कार्यालय झाप

पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के परिषदादेश संख्या-672-पी/राविप-21(23 अलाउन्स)/1980 दिनांक 08.06.1987 के अनुक्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा उत्पादन निगम तथा जल विद्युत निगम की विभिन्न तापीय/जल विद्युत परियोजना स्थलों पर स्थापित पावर कारपोरेशन के पारेषण/वितरण खण्डों/उपखण्डों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एतद्वारा स्थल प्रतिकर भत्ते की दरों को पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार सहर्ष प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	परियोजना स्थल का नाम	स्थल प्रतिकर भत्ता की संशोधित दर
1.	2	3
1.	हरदुआगंज तापीय परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़)	मूल वेतन का 05% (पांच प्रतिशत) परन्तु अधिकतम सीमा रु. 600/- (छः सौ रुपया) प्रति माह।
2.	पारीछा तापीय परियोजना, पारीछा (झांसी)	- तदैव -
3.	पनकी तापीय परियोजना, पनकी (कानपुर)	मूल वेतन का 05% (पांच प्रतिशत) परन्तु अधिकतम सीमा रु. 600/- (छः सौ रुपया) प्रति माह।
4.	माताटीला जल विद्युत परियोजना (झांसी)	- तदैव -
5.	खारा जल विद्युत परियोजना, सहारनपुर	- तदैव -
6.	ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा (सोनभद्र)	मूल वेतन का 7.5% (साढ़े सात प्रतिशत) परन्तु अधिकतम सीमा रु. 1000/- (एक हजार रुपया) प्रति माह।
7.	ओबरा हाइड्रिल एवं रिहंद जल विद्युत परियोजनाएं, ओबरा (सोनभद्र)	- तदैव -
8.	अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा (सोनभद्र)	- तदैव -

2. उपरोक्त पुनरीक्षित दरों पर अनुमन्य स्थल प्रतिकर भत्ता दिनांक 08.01.2011 से प्रभावी होगा।

3. स्थल प्रतिकर भत्ता के सम्बन्ध में निर्गत पूर्व परिषदादेश सं० 5555-डब्ल्यूबी०/एस०ई०बी०

Kavayitri She Bhatt Sir (Letter-01)- 10

(क्रमशः2)

दिनांक 13.10.1982 तथा संख्या-31-डब्लू0बी0/एस0ई0बी0 दिनांक 09.01.1986 के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं०- 117 (1) काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
4. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 11), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, बी-17, जे० रोड, महानगर, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
12. समस्त उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
14. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
15. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
16. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(विनय किशोर श्रीवास्तव)
उप सचिव (काविनी)